

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 जनवरी 2018—पौष 16, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2018

क्र. डी-15-5-2018-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्य भारत शासन, उद्योग तथा व्यापार विभाग की विज्ञप्ति क्र. 868-13-92-54, दिनांक 14 मई 1955 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति जावरा के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

ग्राम सुखेड़ा, तहसील जावरा, जिला रतलाम के निम्नलिखित खसरा क्रमांकों का कुल रकबा 6.200 हेक्टर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	955/1, (3.23 में से)	2.330
2	954/1, (0.62 में से)	0.450
3	946/1/1 (3.76 में से)	3.420
	योग . . .	6.200

जिसकी सीमाएं

पूर्व में—आबादी एवं राजस्थान रोड
पश्चिम में—सुखेड़ा मार्ग
उत्तर में—नाला एवं निजी भूमि
दक्षिण में—निजी भूमि.

Bhopal, the 6th January 2018

No. D-15-5-2018-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that the following Places including all structures, enclosure, open places or locality in the Jaora market area for which a market has been established vide Madhya Bharat Commerce and Industries Department's Notification No. 868-13-92-54, dated 14th May, 1955 shall be Sub-market yard, namely:—

PLACE

An area of 6.200 Hectore's land of below Mentioned Khasra number at Sukheda in Jaora Tehsil of Ratlam District :—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hectore's) (3)
1	955/1, (into 3.23)	2.330
2	954/1, (into 0.62)	0.450
3	946/1/1 (into 3.76)	3.420
		Total . 6.200

BOUNDED BY

- On the East by**—Papulation & Rajasthan Road.
On the West by—Sukheda Road.
On the North by— Kanal & Private land.
On the South by— Private Land.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2018

क्र. डी-15-5-2018-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 6 जनवरी 2018 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र जावरा, जिला रतलाम के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत सुखेड़ा, तहसील जावरा, जिला रतलाम की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
1. सुखेड़ा, 2. निपानिया, 3. केसरपुरा, 4. बड़ायाला, 5. खेड़ा, 6. धतूरिया, 7. रियावन, 8. रानीगांव, 9. ठिकरिया, 10. झातला,
11. दुधाखेड़ी, 12. माऊखेड़ी, 13. जेठाना, 14. पंचेवा, 15. धामेड़ी, 16. पिंडवासा, 17. बानीखेड़ी, 18. चंदावता,
19. भाखरखेड़ी, 20. जालीनेर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2018

क्र. डी-15-5-2018-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 6 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 6th January 2018

No. D-15-5-2018-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard declare *vide* this department's notification even number dated 6th January 2018 the following area of Jaora of District Ratlam shall be Sub-market yard, namely:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Sukheda in Tehsil Jaora of District Ratlam.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the Sub-market yard, namely:—
 1. Sukheda, 2. Nipaniya, 3. Kasharpura, 4. Badayla, 5. Kheda, 6. Dhaturiya, 7. Riyawan, 8. Ranigaon, 9. Thikariya, 10. Jhatala, 11. Dudhakhedi, 12. Maukhedi, 13. Jathana, 14. Pancheva, 15. Dhamedi, 16. Pindwasha, 17. Baanikhedi, 18. Chandawata, 19. Bhakharkhedi, 20. Jaaliner.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.